

21/10/24 पंचायती आज पेशी में ली गई। अखिवक्ता
शर्मा को वा वा आवाज लगाई गई
हाजिर नहीं। तबसीलदार अनुमानगढ़ के
पयांक 530 दिनांक 13/8/24 द्वारा प्राप्त
सोका Report का अपलोड किया गया
जिसमें शर्मा मेजर राम द्वारा प्रश्नगत
भूमि का बैचान करने का अंकन
किया गया है। अतः शर्मा द्वारा यचित
अनुलोष प्रदान किया किंवा नहीं। शर्मा
पत्र Default में खारिज कर पंचायती
दालिख दफतर की जाती है। हां

